

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13/स्था0-02-42/2025/

पटना/दिनांक -

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-4753 दिनांक-31.12.2025 से प्राप्त अनुशांसा के आलोक में श्री कन्हैया कुमार, कनीय अभियंता (असै0), समेकित सीरीयल नं0-2390, बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद को उनके द्वितीय संतान प्राप्ति के फलस्वरूप दिनांक 02.01.2026 से 16.01.2026 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों की अवधि को पितृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृति वित्त विभाग के पत्रांक-9889 दिनांक 01.12.2015 में निहित प्रावधानों के तहत प्रदान किया जाता है।

- नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश की प्रविष्टि HRMS Portal एवं सेवापुस्त में कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-  
(मनीष आनंद)  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-4753 दिनांक-31.12.2025 के क्रम में/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद/श्री कन्हैया कुमार, कनीय अभियंता (असै0), समेकित सीरीयल नं0 2390, बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 1555

पटना/दिनांक - 14/3/26

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M.O.A.S. 18/03/26  
अवर सचिव (प्रबंधन)।